(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 253 (अ), दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,-

(क) शब्द "जिनके मामले में केंद्रीय कर का भुगतान करने की देयता है" के स्थान पर शब्द "जो कि इन पर केंद्रीय कर का भुगतान करेंगे" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) शब्द "सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिएपूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा" के स्थान पर शब्द "उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/ 53 /2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 06/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 29 मार्च 2019 को सा.का.नि. 253(अ), दिनांक 29 मार्च 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।